भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1299

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटक स्थलों पर विशेष पर्यटक पुलिस अथवा हेल्पलाइन तंत्र

1299. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान विदेशी और घरेलू पर्यटकों के साथ चोरी, हमला और यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और महाराष्ट्र के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष पर्यटक पुलिस सेवा अथवा हेल्पलाइन तंत्र के संचालन की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाजत मूल रूप से राज्य का विषय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त वर्ष 2023 एवं 2024 के दौरान विदेशी पर्यटकों के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा अपराध शीर्ष-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा सूचित किया गया है कि घरेलू पर्यटकों तथा जिला-वार सूचना से संबंधित डेटा का रखरखाव एनसीआरबी द्वारा नहीं किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी स्तर पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने हेतु समर्पित पर्यटक पुलिस की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ इस विषय को लगातार उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों ने पर्यटक पुलिस तैनात की है।

पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) के माध्यम से "राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटक पुलिस का कार्य संचालन एवं सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण" नामक एक अध्ययन करवाया, जिसका उद्देश्य पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझना और पर्यटकों की आवश्यकताओं के प्रति पर्यटक पुलिस को संवेदनशील बनाना था। इस अध्ययन के तथ्य सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजे गए थे। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईआईटीटीएम द्वारा तैयार किया गया एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी गृह मंत्रालय को

अग्रेषित किया गया, जिसे आगे सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को प्रेषित किया गया।

एक व्यापक रूपरेखा विकसित करने के लिए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पर्यटक पुलिस योजना पर एक अध्ययन का दायित्व सौंपा और एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटकों के लिए अधिक सुरक्षित माहौल तैयार करने के उद्देश्य से एक समान पर्यटक पुलिस व्यवस्था लागू करने हेतु, पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और बीपीआरएंडडी के सहयोग से नई दिल्ली में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस विभागों के पुलिस महानिदेशकों (डीजी)/पुलिस महानिरीक्षकों (आईजी) के लिए पर्यटक पुलिस योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित हेल्पलाइन सेवाएँ पर्यटकों को संकट की स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। महाराष्ट्र में हेल्पलाइन नंबर 112, 24×7 संचालित होती है और पूरे राज्य में त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएँ प्रदान करती है। इसके अलावा, पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित एवं संरक्षित बनाने के मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के लिए एक बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन भी स्थापित की है, जो भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के रूप में सहायता सेवाएँ प्रदान करती है तथा भारत के भीतर यात्रा के दौरान संकट में फँसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है।

अनुबंध

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे द्वारा पर्यटक स्थलों पर विशेष पर्यटक पुलिस अथवा हेल्पलाइन तंत्र के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या 1299 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

वर्ष 2023 के दौरान विदेशी पर्यटकों के विरुद्ध अपराध के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अपराध शीर्ष-वार दर्ज मामले											
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**हत्या**	**हत्या की कोटि में न आने वाली गैर-इरादतन हत्या**	**हत्या का प्रयास/गैर-इरादतन हत्या**	**साधारण चोट**	**गंभीर चोट**	**किसी महिला की गरिमा भंग करने के आशय से उस पर हमला**	**व्यपहरण और अपहरण**	**मानव तस्करी**	**बलात्कार**	**चोरी**
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	1	0	0	0	1	2	0	3	1	3
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	1	0	2	2	0	1	0	1	0	0
12.	केरल	0	0	0	1	0	5	0	0	3	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	1	0	1	1	7
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21.	राजस्थान	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	कुल राज्य	**3**	**0**	**2**	**3**	**1**	**14**	**0**	**7**	**10**	**15**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
31.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	1	0	0	1	0	5	1	0	2	13
33.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**7**	**1**	**0**	**3**	**13**
	कुल (अखिल भारतीय)	**4**	**0**	**2**	**4**	**1**	**21**	**1**	**7**	**13**	**28**

वर्ष 2023 के दौरान विदेशी पर्यटकों के विरुद्ध अपराध के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अपराध शीर्ष-वार दर्ज मामले											
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**छीनना**	**वसूली**	**लूट**	**डकैती**	**धोखा**	**जाल साजी**	**महिलाओं की गरिमा का अपमान**	**अन्य आईपीसी बीएनएस / अपराध**	**अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम**	**अन्य एसएलएल अपराध**
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	0	1	0	2	0	0	2	6	1
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23.	तमिलनाडु	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
24.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**0**	**0**	**6**	**0**	**3**	**0**	**0**	**10**	**6**	**2**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
31.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0	0	6	8	0	1	0	1
33.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**8**	**0**	**2**	**0**	**1**
	कुल (अखिल भारतीय)	**0**	**0**	**6**	**0**	**9**	**8**	**0**	**12**	**6**	**3**

वर्ष 2024 के दौरान विदेशी पर्यटकों के विरुद्ध अपराध के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, अपराध शीर्ष-वार दर्ज मामले											
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	हत्या	हत्या की कोटि में न आने वाली गैर-इरादतन हत्या	हत्या का प्रयास/गैर-इरादतन हत्या	गंभीर चोट	किसी महिला की गरिमा भंग करने के आशय से उस पर हमला	व्यपहरण और अपहरण	बलात्कार	चोरी	छीनना	वसूली
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	6	0	0	0	1	5	6	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0
12.	केरल	0	0	1	0	6	0	4	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	पंजाब	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**10**	**0**	**3**	**0**	**11**	**8**	**13**	**10**	**0**	**0**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	तथा दमन और दीव										
32.	दिल्ली	1	0	3	0	3	1	2	29	5	0
33.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	**1**	**0**	**3**	**0**	**3**	**1**	**2**	**30**	**5**	**0**
	कुल (अखिल भारतीय)	**11**	**0**	**6**	**0**	**14**	**9**	**15**	**40**	**5**	**0**

वर्ष 2024 के दौरान विदेशी पर्यटकों के विरुद्ध अपराध के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, अपराध शीर्ष-वार दर्ज मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लूट	डकैती	धोखा	जाल साजी	महिलाओं की गरिमा का अपमान	अन्य आईपीसी/ बीएनएस अपराध	अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम	अन्य एसएलएल अपराध	विदेशी पर्यटकों के खिलाफ कुल अपराध
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	1	0	0	0	0	7	1	0	12
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	2	0	2
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	6
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	18
10.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	1	0	0	0	4	8	2	21
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	11
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0	0	1	0	0	3	0	2	8
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	2	3
21.	राजस्थान	0	0	2	0	0	1	0	0	8
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	तमिलनाडु	1	0	0	0	0	3	0	0	4
24.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	2	0	2
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	1	0	0	0	0	0	2
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल राज्य	**2**	**1**	**4**	**0**	**0**	**18**	**13**	**6**	**99**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	2	0	5	1	0	2	0	0	54
33.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	2	0	2
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	**2**	**0**	**5**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0**	**57**
	कुल (अखिल भारतीय)	**4**	**1**	**9**	**1**	**0**	**20**	**15**	**6**	**156**

स्रोतः भारत में अपराध
